न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील / 03 / 2017

सरोज पत्नी वीरेन्द्र सिह जाति जाट निवासी उसरानी तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर

....अपीलान्ट

बनाम

1—विनोद कुमार पुत्र नैमीचंद जाति वैश्य निवासी गुड की मण्डी भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर

.....उत्तरवादी मूल

2—रुचि जैन पत्नी नीरज जैन जाति जैन निवासी गोपालगढ सेढ के मढ के पास भरतपुर

3—ओमवती पत्नी पुष्करसिंह निवासी डी 243 जवाहर नगर भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर

4—उमेश कुमारी पत्नी सुखदेव सिंह जाति जाट निवासी कौरेर तहसील डीग जिला भरतपुर

.....उत्तरवादीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरुद्व आदेश तहसीलदार भरतपुर दिनांक 20.9.2002 बाबत नामान्तकरण संख्या 2568 बाके ग्रांम गोलपुरा तहसील भरतपुर ।

सत्यमेव—जयते
Web Copy - Not Official

आदेश दिनांक 6.03.2018

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्व रेस्पो. व खिलाफ आदेश तहसीलदार भरतपुर दिनांक 20.9.2012 बाबत नामान्तकरण संख्या 2568 बाके ग्रांम गोलपुरा तहसील भरतपुर के पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश में नामान्तकरण संख्या 2568 रेस्पो असल विनोद कुमार पुत्र नैमीचन्द के हक में दर्ज कर स्वीकार किया गया है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी की गई। उभय पक्ष की ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित आये। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष द्वारा लिखित बहस पेश की गई हैं जो शामिल पत्रावली की गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का अध्ययन किया गया। अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 2568 दिनांक 20.9.2012 का अवलोकन किया गया।

अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण के पुश्त पर अंकित नोट पर गोर किया गया, यह नामान्तकरण अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश भरतपुर न.2 के निर्णय दिनांक 23.4.2007 की पालना में दर्ज कर तहसीलदार भरतपुर ने स्वीकार किया गया है। योग्य अभिभाषक रेस्पो न.1 की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस के साथ प्रस्तुत सत्यप्रतिलिपि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर बेंच जयपुर एस.बी.सिविल सेकण्ड अपील न. 367/2007 उनवानी सुन्दर वगे. बनाम विनोद कुमार वगे. निर्णय दिनांक 27.11.2017 के अवलोकन से स्पष्ट है कि माननीय अतिरिक्त जिला एवं स. न्यायाधीश भरतपुर न.2 के आदेश दिनांक 23.4.2007 के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में दायर उक्त एस.बी.सिविल सैकण्ड अपील न. 367/2007 दिनांक 27.11.2017 को खारिज हो चुकी है। तहसीलदार भरतपुर ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश भरतपुर न.2 के निर्णय दिनांक 23.4.2007 की पालना में विवादित नामान्तकरण दर्ज किया गया है, जिसमें तहसीलदार ने कोई त्रुटि नहीं की है। इस सम्बन्ध में एल.आर.एक्ट की धारा 133(16) स्पष्ट है। अपीलाधीन आदेश में हम किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 06.03.2018 को सुनाया गया।

{ डॉ.एन.के.गुप्ता }
जिला कलक्टर
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official